संख्या-75/2017/1618/22-2-2016-17(338)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 01 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम बाबू पुत्र श्री रामजीत, निवासी-जनपद-इटावा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-12-09-2016 दिनांक 26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम बाबू पुत्र श्री रामजीत, निवासी- नगरिया घोषियान, थाना-भर्थना, जनपद- इटावा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा भूमि विवाद की रंजिश के कारण दिनांक 21-12-78 को बन्दी ने अपने 06 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल, तमंचा, लाठी व बल्लम से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/1979 में भा0द0वि0 की धारा-148,149,307,302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटावा द्वारा दिनांक 08-09-1980 को दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13-01-2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 06 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.05.2016 तक 10 वर्ष 11 माह 05 दिन की अपरिहार एवं 14 वर्ष 03 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 67 वर्ष है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा, बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करता है तथा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भूमि विवाद की रंजिश के कारण दिनांक 21-12-78 को बन्दी ने अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राईफल, तमंचा, लाठी व बल्लम से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी श्याम बाबू (बन्दी संख्या-21719) पुत्र श्री रामजीत निवासी-जनपद-इटावा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-75/2017/1618/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in